>

Title: Need to classify Nursing homes in the country based upon the facilities available for treatment.

**श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली):** देश में जो नर्सिंग होम्स पंजीकृत होते हैं, उनके लिए ऐसे कोई नियम अथवा वर्ग नहीं है कि वह किन-किन बीमारियों का उपचार अथवा शल्य चिकित्सा कर सकते हैं। विशेषतः छोटे नर्सिंग होम्स में न केवल स्थान का अभाव रहता है, बल्कि उनमें मरीजों की जानलेवा बीमारियों का उपचार तो किया जाता है, मगर उनमें विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं उपचार संबंधी जरूरी उपकरणों की भारी कमी रहती है, जिसके परिणामस्वरूप उपचार एवं शल्य चिकित्सा के दौरान मरीजों के जीवन के साथ न केवल खिलवाड़ किया जाता है, बल्कि जानलेवा गंभीर बीमारियों की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी मृत्यु तक हो जाती है।

अतः ऐसी स्थिति में मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह नर्सिंग होम्स की श्रेणी सुनिश्चित करते हुए उनमें किन-किन बीमारियों का उपचार एवं शल्य चिकित्सा की जा सकती है, ऐसा प्रावधान बनाए जाने हेतु तुंत एवं सख्त कार्यवाही करें।